

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2025/95

दिनांक 06.02.2025

अनवान :-

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
सूरतदान वगैरा	बनाम	अमीर बक्स वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम  
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 129/2024

दिनांक : 06.02.2025

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र बीजासर के मौजा भारे का तला के खेत खसरा सं. 142 रकबा 08.4984 हैक्टयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है ।  
प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2025/ 96-99

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थी सूरतदान वगैरा
3. विप्रार्थीगण अमीरबक्स वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ/सेडवा

sd  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन

दिनांक 06.02.2025

(कुसुमलता चौहटन)  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन